**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या 271\***

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**झारखंड में मानव तस्करी**

**†\*271. श्री महेश पोद्दारः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि झारखंड के सुदूर वन्य एवं जनजातीय क्षेत्रों यथा, खूंटी, दुमका, सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू से बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रही है;**

**(ख) क्या यह भी सच है कि सुनियोजित मानव तस्करी में दलालों की प्रमुख भूमिका होती है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार और-राज्य सरकार ने गहन निगरानी के आधार पर दलालों की सूची तैयार कर ली है; और**

**(घ) यदि हां, तो कठोर कार्रवाई कब तक की जायेगी और मानव तस्करी कब तक रोकी जायेगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

-2-

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 271

दिनांक 21.03.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि रोजगार दिलाने का झांसा देकर बालिकाओं के दुर्व्यापार से संबंधित शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। यह सूचित किया गया है कि ऐसे मामलों में दलालों की भूमिका होती है। झारखंड के कई जिलों ने ऐसे दलालों की सूचियां तैयार की हैं तथा झारखंड सरकार द्वारा निगरानी रखी जा रही है। ऐसे दलालों की सूची केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

‘पुलिस’ तथा ‘लोक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार के अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय समय-समय पर मानव तस्करी पर जारी विभिन्न परामर्शी-पत्रों के माध्यम से नियमित मार्गदर्शन करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। ये परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट [http://mha.gov.in](http://mha.gov.in/) पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए मानव-दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों की मानव-दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें भी करता है और इन्हें मानव-दुर्व्यापार के मामलों से निपटने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

-3-

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 271

गृह मंत्रालय द्वारा ‘न्यायिक सम्मेलन’ तथा ‘राज्य स्तरीय सम्मेलन’ आयोजित करने के लिए न्यायिक अकादमियों और राज्यों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है जिनका लक्ष्य न्यायिक अधिकारियों को दुर्व्यापार से संबंधित कानून के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में सुविज्ञ बनाना तथा सिविल सोसाइटी संगठनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ नजदीकी समन्वय से दुर्व्यापार को रोकने में विधि प्रवर्तन पदधारियों को उनके कर्त्तव्यों तथा भूमिका के बारे में सुग्राही बनाना है।

गृह मंत्रालय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय को दुर्व्याहार के पीड़ितों के पुनर्वास तथा राज्यों की ऐसी फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियों पर नजर रखने की भी सलाह देता है जो रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर भोले-भाले पीड़ितों को धोखा देती हैं। गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय से भी संपर्क किया है ताकि दुर्व्यापार के मकसद से रेलवे के माध्यम से ले जायी जा रही महिलाओं और बच्चों की किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जीआरपी और अन्य रेलवे स्टाफ को अलर्ट किया जाए।

----------